अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 487/26
चिकसौरा थाना काण्ड सं0– 14/25

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 51 का अवलोकन किया किया, जिसमें पर्यवेक्षण टिप्पणी सह प्रतिवेदन– 2 में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया है कि उपरोक्त आवेदकगण को घटना स्थल के आस–पास के साक्षियों द्वारा नाबालिग तथा पढ़ने वाला छात्र बताया गया है और केस में नाम देकर फंसा देने की बात कथित की गई है तथा घटना में बच्चों का कोई दोष नहीं बताया गया है। उपरोक्त आवेदकगण मृतिका के पति के पति के बड़े भाई का लड़का है, इस कारण से काण्ड में फंसाने की बात कथित की गई है। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 73 एवं 74 में स्वतंत्र साक्षियों के द्वारा भी उपरोक्त सभी आवेदकगण को नावालिग बताते हुए घटना में इनकी संलिप्तता से इन्कार किया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 84 प्रतिवेदन– 2 में पुलिस अधीक्षक, नालन्दा द्वारा भी उपरोक्त आवेदकगण के विरुद्ध साक्ष्य की कमी पाई गई है, जिसके कारण उनके विरुद्ध आरोप–पत्र समर्पित नहीं किया गया था। आवेदकगण के विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण पढ़ने वाले छात्र एवं छात्रायें हैं तथा घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को निम्न न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर आत्मसमर्पण करने अथवा इस केस में गिरफ्तार होने की दशा में मो0– 10,000/– रुपए के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर धारा– 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि (1) दोनों जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार होंगे। (2) आवेदकगण काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे और न ही साक्ष्यों से छेड़–छाड़ करेंगे। (3) इस प्रकार के आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति वाद लंबित रहने के दौरान नहीं करेंगे। (4) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर बंध–पत्र खंडित करने हेतु न्यायालय स्वतंत्र होगा।

(लेखापित एवं संशोधित).

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)

श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 487/26
चिकसौरा थाना काण्ड सं0– 14/25

कुणाल कुमार एवं अन्य.....आवेदकगण
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

10/06/2026 आवेदक (1) कुणाल कुमार, उम्र 20 वर्ष, (2) दिव्या कुमारी पिता, उम्र 24 वर्ष (3) अंजली कुमारी, उम्र 22 वर्ष एवं (4) करण कुमार पिता उम्र 23 वर्ष, सभी पिता प्रमोद विश्वकर्मा, सा0– चिकसौरा बाजार, थाना चिकसौरा, जिला नालन्दा की और से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार द्वारा संचालित किया गया। आवेदकगण चिकसौरा थाना काण्ड सं0– 14/25, दिनांक 29/01/25 भा0न्या0सं0 की धारा– 80, 238, 3(5) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदकगण की ओर से इस मामले में पूर्व में श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश नालन्दा कैम्प कोर्ट हिलसा, नालन्दा या अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिलसा, नालन्दा या माननीय उच्च न्यायालय पटना में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किये हैं। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण इस मुकदमा में निर्दोष है और कोई घटना नहीं किए हैं। इस मुकदमा में आवेदकगण को मृतक की गोतनी के पुत्र वो पुत्री रहने के कारण अभियुक्त बना दिया गया है। इस मुकदमा में आवेदकगण को अनुसंधान के क्रम में निर्दोष पाया गया था, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 16/06/2025 को संज्ञान लेकर अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदकगण के माता–पिता मृतक वो मृतक के पति से बंटबारा कर अलग रहते थे सिर्फ दुमश्मनीवश फंसाया गया है। आवेदकगण को अनुसंधान के क्रम में निर्दोष पाया गया था लेकिन न्यायालय द्वारा दिनांक 16/06/25 को संज्ञान लेकर अभियुक्त बना दिया गया है। इस मुकदमा में अभियुक्त प्रमोद विश्वकर्मा को बी0पी0नं0 252/25 से दिनांक 26/05/25 एवं कंचन देवी को बी0पी0नं0– 219/25 से दिनांक 26/05/25 को जमानत की सुविधा श्रीमान ए0डी0जे0– III हिलसा, नालन्दा द्वारा जमानत दिया गया है। आवेदकगण पर कोई स्पेस्फिक आरोप नहीं है सिर्फ समान आरोप गढ़कर फंसाया गया है। आवेदकगण का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है तथा इस मुकदमा से भागने की कोई सम्भावना नहीं है। आवेदकगण धारा– 482(2) बी।0एन0एस0एस0 के प्रावधानों को मानने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानतदार देने को तैयार है। अतः किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचक किशोर विश्वकर्मा द्वारा थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार संक्षेप में यह है कि सूचक अपनी पुत्री मोनी कुमारी की शादी हिन्दू रिति–रिवाज के अनुसार दिनांक 23/11/2023 को मनीष कुमार विश्वकर्मा के साथ किये थे। शादी के करीब दो माह के बाद से सूचक की पुत्री को प्रताड़ित किया जाने लगा तथा दूरभाष के माध्यम से अक्सर मोबाइल एजेंसी लेने के लिए दस लाख रुपया की मांग कर रहे थे लेकिन इस बात को सूचक नजरअंदाज कर रहे थे। सूचक की पुत्री द्वारा मांग पूरा न करने पर परिवार के सदस्य मिलकर सूचक की पुत्री के साथ बीते एक माह पूर्व से मार–पीट कर जान मारने की भी धमकी देते थे। इस बात पर सूचक बोलते थे कि परिवार में उन्नीस–बीस होता है और अपनी पुत्री को समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन दिनांक 29/01/2025 को समय करीब 11:00 बजे ग्रामीणों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आपकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। इसपर सूचक एवं इनके परिवार के लोग चिकसौरा पहुँचे तो देखे कि पुत्री का शव जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। सूचक को पूरा विश्वास है कि मनीष कुमार, प्रमोद विश्वकर्मा, कंचन देवी, करन कुमार, दिव्या कुमारी, कुनाल कुमार, अंजनी कुमारी सभी मिलकर सूचक की पुत्री का गला घोंटकर हत्या कर दिये हैं।